

196

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

R 149-I 17



मुबारिक खान बल्द जलील खान,

साकिन- धरमपुरा वार्ड दमोह तहसील व जिला दमोह

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन

पुनरीक्षणकर्ता

उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता विरुद्ध
पुनरीक्षण क्रमांक- 4अ/68 वर्ष 2015-16 आदेश दिनांक-
26/09/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अपर कलेक्टर दमोह
पक्षकार मुबारिक खान बनाम् शासन जिसमें पुनरीक्षणकर्ता
की पुनरीक्षण निरस्त कर दी गई है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

दमोह तहसील व जिला दमोह के खसरा नंबर

3

R.M.
19.12.16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक :- निगरानी-149-एक/2017

जिला-दमोह

मुबारिक खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-दमोह के प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>